उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
U.P. University of Medical Sciences, Saifai, Etawah-206130 (India)

पत्रांकः 2683/E /यूपीयूएमएस/अधि0–07(265)/2024–25 दिनांकः 18 अक्टूबर, 2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
(चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4)
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विषयः– राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.03.2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक् उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र सं0 71–4099/135/2024–चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 दिनांक 09.10.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पॉच बिन्दुओं के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के कम में आख्या निम्नवत् प्रस्तुत हैः–

क.सं.	बिन्दु	आख्या
1.	अपने वर्तमान स्वरूप में विश्वविद्यालय, 2017 से संचालित है जिससे पूर्व यह संभवतः एस0जी0पी0जी0आई0 के सेटेलाइट सेंटर के रूप में संचालित था। क्या उपरोक्त तालिका में उल्लिखित सभी को संस्थान के एस0जी0पी0जी0आई0 सेटेलाइट सेंटर से विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित होने पर सेवा में लियन का लाभ प्राप्त हुआ? ऐसा किस नियम के तहत किया गया?	अवगत कराना है कि यह विश्वविद्यालय पूर्व में Multi Speciality Medical Institute (M.S.M.I) के रूप में संचालित था। तदोपरान्त उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप सं0 267/71–03–06—–एस–1/2006 दिनांक 17.01.2006 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा एम0एस0एम0आई0 का स्वरूप परिवर्तित करते हुए स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा (UPRIMS&R) की स्थापना अधिसूचना दिनांक 17.01.2006 के माध्यम से की गयी है। उल्लेखनीय है कि अधिसूचना दिनांक 17.01.2006 से एम0एस0एम0आई0 सैफई सैटेलाइट केन्द्र की समस्त अस्थियां, दायित्व और कर्मचारी उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा (UPRIMS&R) में निहित कर दिये गये थे। उक्त के पश्चात् उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा (UPRIMS&R) को उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, की अधिसूचना सं0 2140/71–2–16–एस–9/2016 दिनांक 03.06.2016 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा (UPUMS) में परिवर्तन किया गया है। तत्पश्चात् वर्तमान में वर्ष 2016 से विश्वविद्यालय संचालित है। अवगत कराना है कि उक्त समस्त कार्मिकों की नियुक्ति एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा विज्ञापित विज्ञापन सं0 30/2004–05 एम.एस.एच.एस. व एमएसएमआई/37/04–05 दिनांक 22–28 जनवरी, 2005 के कम में Multi Speciality Medical Institute (M.S.M.I) हेतु की गयी थी। उल्लेखनीय है कि एम0एस0एम0आई0 को ही परिवर्तित कर वर्ष 2006 में उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा (UPRIMS&R) तथा वर्ष 2016 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा स्थापित किया गया है। चूँकि उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.01.2006 के द्वारा एम0एस0एम0आई0 सैफई सेटेलाइट केन्द्र की समस्त अस्थियां, दायित्व और कर्मचारी संस्थान (UPRIMS & R) में निहित किये जाने के दृष्टिगत सेवा में लिएन का कोई औचित्य नहीं है।

2.	तालिका में कमांक 01 (डॉ0 शैलेन्द्र पाल सिंह) पर उल्लिखित कार्मिक द्वारा नॉन टीचिंग पद पे चयनोपरान्त वर्तमान में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया जा रहा है, ऐसा किस प्रकार से किया गया?	अवगत कराना है कि डॉ0 शैलेन्द्र पाल सिंह की नियुक्ति एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा विज्ञापित विज्ञापन सं0 30/2004–05 MSHS के अन्तर्गत स्पेशलिस्ट ग्रेड–2 (जनरल सर्जन) पद पर हुई थी। तदोपरान्त अधिसूचना दिनांक 17.01.2006 के माध्यम से उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा की स्थापना होने के उपरान्त संस्थान द्वारा विज्ञापित फैकल्टी पद लेक्चरर पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हुई है। डॉ0 शैलेन्द्र पाल सिंह वर्तमान में पदोन्नति उपरान्त प्रोफेसर, जनरल सर्जरी के पद पर कार्यरत हैं।
3.	यह पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाये कि विकल्प पत्र में अंकित विज्ञापन वही है, जिनके आधार पर सम्बन्धित कार्मिकों की सैफई विश्वविद्यालय में नियुक्ति हुई है।	प्रमाणित किया जाता है कि विकल्प पत्र में अंकित विज्ञापन वही है, जिसके आधार पर सम्बन्धित कार्मिकों को Multi Speciality Medical Institute (M.S.M.I), उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा एवं उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में नियुक्त किया गया है।
4.	उक्त समस्त विकल्प पत्रों में कार्यालयाध्यक्ष /विभागाध्यक्ष की संस्तुति अंकित किया जाये।	समस्त विकल्प पत्रों में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति की गयी है।
5	प्रकरण का शासनादेश दिनांक 28.06.2024 में अंकित व्यवस्था के कम में परीक्षण कर अपनी सुस्पष्ट आख्या/संस्तुति शासन को प्रेषित किया जाये।	समस्त कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत विकल्प के कम में शासनादेश दिनांक 28.06.2024 में निहित व्यवस्था के आलोक में प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 चन्द्रवीर सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वित्त अधिकारी।
2. निजी सचिव को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
3. वेबसाइट कमरा नं0 336, द्वितीय तल, प्रशासनिक भवन।

(डॉ0 चन्द्रवीर सिंह)
कुलसचिव